RAJYA SABHA

Wednesday, the 8th March, 2000/18 Phalguna, 1921 (Saka)

The House met at eleven of the clock, Mr. Chairman in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

New Capital fur Haryana

*181. SHRI SUKHDEV SINGH LIBRA:†
SARDAR GURCHARAN SINGH TOHRA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

- (a) whether there is any proposal under active consideration of Government to construct a new capital for the State of Haryana and award whole of Chandigarh to Punjab on permanent basis; and
 - (b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) and (b) No proposal relating to the construction of a new capital for the State of Haryana is under the consideration of the Central Government. The question of transfer of Chandigarh to Punjab is linked with the resolution of other issues arising out of the territorial claims put forward by Punjab and Haryana consequent upon the enactment of the Punjab Reorganisation Act, 1966. The Central Government would like the concerned State Governments to sort out their differences amicably through discussion and mutual accommodation.

श्री सुखदेव सिंह लिब्रा: चेयरमैन साहब, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह लीपापोती वाला है जबिक चंडीगढ़ पंजाब के किसानों को उजाड़ करके पंजाब की राजधानी के लिए बनाया गया था। पंजाब से उसकी पुरानी राजधानी शिमला भी छिन गयी और चंडीगढ़ भी। क्या सरकार कोई समय निर्धारित करेगी जिससे चंडीगढ पक्के तौर पर पंजाब को सौंप दिया जाए या इसके क्या कारण हैं?

श्री लाल कृष्ण आडवाणीः माननीय सदस्य को जानकारी है कि यह सवाल जो है वह

[†]The question was actually asked on the floor of the House by Shri Sukhdev Singh Libra.

कोई अभी का, आज का या विगत वर्षों का ही नहीं है। 1996 में जब पंजाब रिआगेंनाइजेंशन एक्ट के अंतर्गत यह निर्णय हुआ था तब से लेकर चंडीगढ़ के मसले को लेकर और भूमि संबंधी पंजाब और हरियाणा के बीच के विवादों को लेकर मामले चलते आए है और इस विषय में कमीशन्स भी बनाए गए है एक नहीं तीन-तीन, फिर भी समस्या का निपटारा नहीं हुआ है। हमारी मान्यता है आज भी, कि जहां पर भी इस प्रकार के विवाद है, संबंधित राज्य ही आपस में अगर उनका निपटारा करें तो वही सही तरीका है। केन्द्रीय सरकार उस विषय में जो भी सहायता कर सकेगी, करेगी।

श्री सुखदेव सिंह लिब्रा: चेयरमैन साहब, मेरा दूसरा सवाल यह है कि यह ठीक है कि पुनर्गठन के मुताबिक होना चाहिए। अब 33 वर्ष हो गए है इस पुनर्गठन को हुए इसके बाद भी इसका कोई फैसला नहीं हुआ है। क्या यह सही है कि राज्यों के पुनर्गठन के बाद केवल पंजाब ही एक ऐसा राज्य है जिसके पास अपनी कोई राजधानी नहीं है और उसके लिए बनाया गया चंडीगढ़ भी उसे नहीं दिया जा रहा है? यदि हां तो पंजाब के साथ यह भिन्नता क्यों हैं?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: दो राज्यों के बीच में जो विवाद है वह सीमित नहीं है हिरयाणा और पंजाब के बीच में, देश में और भी ऐसे भाग हैं जहां पर विवाद है। लेकिन मैं माननीय सदस्य की भावना को समझ सकता हूं क्योंकि यह एक ऐसा मुद्दा है जिसमें 1985 में जास्टिस मैथ्यू कमीशन बना जिसने 1986 में अपनी रिपोर्ट दी, फिर 1986 में ही वेंकट रमैया कमीशन बना और उसके बाद 1986 में ही जास्टिस देसाई कमीशन बना और उसके बाद फिर लौंगोवाल जी के साथ भारत सरकार का समझौता भी हुआ। इन सब समझौतों और सब कमीशन्स की रिपोर्ट्स के बावजूद भी यह मामला हल नहीं हो सका। यह एक वस्तुस्थिति है। उस वस्तुस्थिति को हम पहचानते है और इसीलिए मैंने अपने मुख्य उत्तर में इस बात पर बल दिया कि इसका सही अगर कोई हल निकलेगा तो दोनों राज्यों की आपस की बातचीत और म्यूचुअल एकोमोडेशन से ही निकलेगा, अन्यथा कोई निर्णय उनके ऊपर थोपना संभव नहीं होगा।

सरदार गुरुचरण सिंह तोहड़ाः चेयरमैन साहब, मैं आपके जिए गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पंजाब का जो राजधानी का मसला है, चंडीगढ़ का, यह जो पैदा हुआ है यह सेंट्रल गवर्नमेंत ने किया है। ये कह रहे है कि और भी डिस्प्यूट्स है। कोई राज्य मुझे बता दें जिसका ऐसा कोई डिस्प्यूट हो। यह बात मानी गयी है तमाम भारतवर्ष में कि पैरेंट स्टेट की जो उसकी पहली राजधानी है वही हो जाती है। दूसरी स्टेट अपनी राजधानी खुद बनाती है या सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें मदद करती है। मुम्बई का डिस्प्यूत हुआ था। वह भी दो राज्य की राजधानी रखी गयी थी। उसमें भी कितने झगड़े पैदा हुए थे। हमने झगड़ा तो नहीं किया। लेकिन हम पूरे 33 साल से लड़ रहे है। 33 साल से कोई न कोई फैसला चंडीगढ़ के लिए हम पुर अम्र और

जदोजहद के साथ करवाते रहे हैं...। पहले फैसला हुआ, जो श्रीमती गांधी ने अवार्ड दिया था, क्योंकि वह अवार्ड बिल्कुल गलत था, फैसला तो राजधानी का करना था, न कि किसी और इलाकों का करना था। वह हमने परवान नहीं किया। हमारी जद्दोजहद चलती रही और फिर दूसरा फैसला हुआ, जो संत लोंगोवाल एकार्ड में हुआ था। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है और चंडीगढ़ के बारे में जो क्लाज़ है वह यह है कि 26 जनवरी, 1986 को उसे पंजाब को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उस क्लाज़ की और बात तो जैसे एक-एक करके तोड़ी गई, उस एकार्ड का जैसे सैन्टल गवर्नमेंट की इच्छा से उल्लंघन किया गया, वह तो बहुत बडी कहानी है, लेकिन 26 की रात तक चंडीगढ पंजाब में शामिल होने की बात चलती रही और सवेरे दो बजे उस वक्त के मख्य मंत्री सरदार सरजीत सिंह बरनाला को कहा गया कि चंडीगढ आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद यह जो बात गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि दोनों स्टेट्स को मिल-बैठ कर यह फैसला करना चाहिए, तो यह डिस्प्युत तो सैन्टर ने पैदा किया, अब मिल-बैठ कर हम क्या फैसला करेंगे? इसलिए यह गलत बात है। हरियाणा के साथ हमारा कोई डिस्प्यट नहीं है। राजधानी चंडीगढ़ को पंजाब के किसानों को उजाड कर बसाया गया है। ऐसे फैसले भी, कमीशनों का गृह मंत्री जी ने जिक्र किया, एक कमीशन ने कहा था दस हजार, पन्द्रह हजार एकड के ऊपर चंडीगढ प्रौजैक्ट एरिया है। पन्द्रह एकड़ में से छ: हजार एकड़ हरियाणा का एक मान लीजिए। तो उसने कहा दस हजार एकड़ तो पंचकृला के पास देना ही चाहिए। पंजाब ने दस हजार एकड़ मान लिया। वह अपने बयानों से आगे चलते गए। उन्होंने 75 हजार एकड़, एक पूरी पट्टी पजांब और हरियाणा की बाउंड़ी के ऊपर हरियाणा को ट्रांसफर करने की बात कह दी। हम न्याय चाहते है और पिछले 50 साल से हमें इस देश में कोई न्याय नहीं मिल रहा है। पंजाब जो देश का अन्न भंडार है, और देश के ऊपर जब कोई दृश्मन का आक्रमण होता है तो पंजाब उसे अपनी लडाई समझ कर लडता है. सिविल आबादी लड़ती है, फिर भी देश में उस राज्य को इतना भी न्याय देने के लिए कोई गवर्नमेंट तैयार नहीं होती। भले ही हमारी सहयोगी पार्टी की गवर्नमेंट आए। इनका भी वही जवाब है जो पहले डिस्प्यूट पैदा करने वाले देते थे। इसलिए मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राजीव-लोंगोवाल एकार्ड के ऊपर अमल करते हुए क्या राजधानी चंडीगढ को पंजाब को सैपेंगे? जो डिस्प्यट होगा या जो डिस्प्यत की बात चल रही है वह भी बहुत गैर-कृदरती है, बेइंसाफी के ऊपर आधारित है। इतनी बेइंसाफी कि जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। किसी वक्त में और कहेंगे....। हम तो चाहते थे और हमने इसीलिए यह सवाल डाला था कि हमारे गृह मंत्री जी हमें कहेंगे, कोई दिन निश्चित कर देंगे, 'खालसे' के तीन सौ साल के दिन पर चंडीगढ को पंजाब में शामिल कर

देंगे, लेकिन हमें बडी मायूसी हुई है, निराशा हुई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री जी चंडीगढ पंजाब को देने की कोई तारीख अवश्य ही निश्चित करें।

श्री लाल कृष्ण आडवाणीः सभापति जी, माननीय सदस्य सरदार तोहड़ा साहब की मन की व्यथा, उनकी भावना का मैं आदर करता हूं, लेकिन इतना कह सकता हूं कि इस चंडीगढ के सवाल को लेकर और आगे चलकर पंजाब और हरियाणा के बीच के विवादों को लेकर इन विगत 35-40 वर्षों में इतने प्रयत्न हुए हैं कि मैं इस सरकार की ओर से कोई और घोषणा करूं जिसका हाल वैसा ही हो, जैसा पूर्व की घोषणाओं का हुआ है, यह करने के लिए आप मुझे प्रेरित न करें, मजबूर भी न करें। मैं इतना भी जनता हूं कि अलग-अलग निर्णय हुए है और उनमें किसी को कोई मान्य नहीं, किसी को कोई मान्य नहीं, ऐसा भी हुआ है। एक शाह कमीशन भी बना था, जिसने कहा कि चंडीगढ़ हरियाणा में जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें है और मैं उस इतिहास में जाना नहीं चाहता। वस्तुस्थिति यह है कि दो राज्य, जो अच्छे —खासे राज्य हैं, पंजाब की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है देश के विकास में, देश को अनाज के मामले में स्वावलम्बी बनाने में और फिर देश की सुरक्षा के मामले में, इसका तो जितना भी बखान किया जाए वह कम है। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि इन सारी समस्याओं के बारे में जब तक दोनों संबंधित राज्य आपस में मिल-बैठकर, मिच्युअल एकोमोडेशन के साथ कोई हल नहीं निकालेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता और तब तक उन पर कुछ थोपना भी संभव नहीं है, किसी तारीख की घोषणा करना भी संभव नहीं है। एक समय तो वह भी आया, जब प्रस्ताव हुआ था कि चंडीगढ़ के दो हिस्से किए जाएं।(व्यवधान).... मैं वह परिस्थिति भी जानता हूं । किसी एक विषय को लेकर हम चर्चा कर सकते है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, मोटे तौर पर हमारी सरकार की मान्यता है। that these two States sort out their differences through discussion and mutual accommodation. No other solution is possible.

SHRI KARTAR SINGH DUGGAL: Sir, the statement says that these two States must get together. There is some confusion about it. I would like to remind the hon. Home Minister that the Rajiv-Longowal Accord was initiated by the Centre and the Centre arrived at that formula. Therefore, it is the Centre's responsibility to see that it is implemented. This is not being done all these days. I would like to remind the hon. Home Minister that now the parties in power in Punjab and Haryana happen to be the allies of the Central Government. Therefore, it is an ideal opportunity to get them together, to have a solution arrived at and to transfer Chandigarh to

Punjab. Otherwise, it may be too late. The difficulty with the Punjabis is that they are very simple people, especially, the Akalis. They are not at all shrewd politicians. When they are in power, they forget their grievances. The moment they are out of power, they start agitation. God forbid the day when we are in trouble in Punjab again.

SHRI L.K. ADVANI: Mr. Chairman, Sir, the Rajiv-Longowal Accord was related not only to the problem of Chandigarh but also to several other issues which, at that point of time, were causing distress to the people of Punjab. The agreement was very useful in many respects. Most of the issues that were part of the accord have been implemented. But three of them are pending; one of which is the question of Chandigarh. The hon. Member has suggested that the matter should not be left to the two States; the Centre should take some initiative, hold discussions with the two States and sort out the problem. I can only say that this is only a suggestion for action, which the Government would consider.

SHRIMATI AMBIKA SONI: Sir, the hon. Minister is trying to sweep under the carpet an issue which has been requiring an answer for a very long time. He went as far back as the Shah Commission to say that things have been pending. But in Punjab, his party is in Government and was also there in Haryana. But now, in Haryana, his party is not in power. I would like to know why the matter is left to the two parties. Why does his party not take a positive stand? With the hon. Home Minister heading that party, why do they not resolve this issue? How long are they going to take shelter behind the fact that it has not been done in the past? How long are they going to say "there is no hurry; let this problem be sorted out by both the States themselves?" I would like to know from the hon. Home Minister as to when they are going to resolve this issue.

SHRI L.K. ADVANI: Mr. Chairman, Sir, I have scrupulously avoided blaming anyone for the situation because contentious issues of this kind between two States have always been a problem. It is not an easy job to resolve this, even if the same party is in power in both the States, and even at the Centre. All that I can say in reply to the

hon. Member's question is, like the previous Member's observations, it is a suggestion for action to be taken by the Central Government. The Government would certainly take an initiative in bringing the two States together for a discussion.

SHRI SHANKAR ROY CHOWDHURY: Mr. Chairman, Sir, my question to the hon. Home Minister is: Is it true that whatever be the demands of Punjab and Haryana, the people of Chandigarh prefer Chandigarh to remain as a Union Territory? They ascribe the growth of Chandigarh, within its geographical area, to the fact that it has been a Union Territory and not a State.

SHRI L.K. ADVANI: This is another dimension of the question of which I am very much aware of. If the hon. Member from Chandigarh in the other House were to be asked about this, whosoever he is would know that once a territory is created as a Union Territory, distinct from other adjoining States, then the desire naturally grows that it should protect its identity. So, that kind of feeling is also there. It is a dimension which both the States, Punjab and Haryana, have to bear in mind while discussing this issue.

श्री रामजी लालः सभापित महोदय, मंत्री जी ने ठीक कहा है कि चंडीगढ़ को राजधानी बनाने के साथ बहुत सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं। उन्होंने विस्तार से नहीं बताया लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले शाह कमीशन ने चंडीगढ़ हिरयाणा को दिया था। फिर राजीव-लोंगोवाल फैसला हुआ, रेड्डी कमीशन का फैसला हुआ, मैथ्यू कमीशन का फैसला हुआ। ये सारे फैसले हुए। सारा रिकार्ड पड़ा है, आप निकालकर देखो। इसमें पानी का फैसला है। महोदय, 3.1.84 को हरियाणा को, राजस्थान को, चंडीगढ़ को पानी देने का फैसला हुआ। ये सभी फैसले हुए लेकिन किसी बात पर पंजाब टिकता नहीं है। आज हम चाहते हैं कि हरियाणा की अलग राजधानी हो लेकिन क्यों नहीं बन पा रही है क्योंकि पंजाब लेना चाहता है और देने का सवाल नहीं उठता।

सभापित महोदय, होम-मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं। हरियाणा और पंजाब दोनों धर्म भाई हैं। देवीलाल जी और बादल साहब, दोनों धर्म भाई है। जो रिकार्ड में आज तक फैसले हुए, वे फैसले इंप्लीमेंट कर दीजिए, हरियाणा को मंजूर होगा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणीः सभापति जी, सुझाव आया है कि धर्म भाई फैसला कर लें। मैं उनसे सहमत हूं।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, the issue is not as simple as the hon. Home Minister makes it out to be. He is only saying or expressing a pious desire that the two States should meet and sort out this issue. Mr. Chairman, Sir, as you are aware, there are a number of inter-State problems in the country. Sir, you take the water problem between Karnataka, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. You take this problem between Haryana and Punjab. You take this problem between Maharashtra and Karnataka. The most important point is, the pending inter-State issues create a severe problem so far as the federal unity of the nation is concerned. The federal character and national unity are not contradictory. It is a supplementary and integrated concept. Therefore, the Central Government has the political, moral and administrative responsibility. So far as the Constitution and the political requirement is concerned, the Central Government has the responsibility of sorting out these inter-State problems. My specific question to the hon. Home Minister is this. Will the new pro-active Government consider that it has the responsibility to sort out the inter-State relations? Keeping this in view, will the Government take a pro-active policy so that these inter-State problems, particularly between Haryana and Chandigarh are sorted out? It is no explanation that people belonging to a Central Territory always like to enjoy the benefit of Central rule. If this argument is advanced, it will tend to help localism and local aspirations. Local aspirations are not at all conducive to national unity. Therefore, let us not speak of that. I would like to know whether the pro-active Government is interested in taking an initiative to sort out these pending issues which vitally affect the national unity.

SHRI L.K. ADVANI: Mr. Chairman, Sir, at no point of time in my reply, directly or indirectly, I tried to abdicate the responsibility. The Central Government has the responsibility in this matter and its responsibility in this regard was brought into manifestation very clearly when we tried to resolve the problem of the Cauvery waters between the four States of the South. In this particular case, history is such that I merely mention history. But even then, in response to

Mr. Duggal's question and Mrs. Ambika's question I have said that I accept the suggestions which they have made. I am not leaving it entirely to the States. The Central Government would consider whether an initiative in this regard to bring these States together and hold discussions with them on this issue would be profitable at this point of time and do the needful. I don't think the Government of India can abdicate its responsibility not only in this matter but also in respect of all disputes pending between these States. In this case also I have already said that the Government would consider the possibility of taking a pro-active step.

*182. [The questioner (Shri D.P. Yadav) was absent.

For answer, vide page 26 infra.]

Operational Performance of SEBs

- *183. SHRI PREM CHAND GUPTA: Will the Minister of POWER be pleased to state:
- (a) whether it is a fact that the financial health and operational performance of the SEBs are a critical constraint in the future development of the power sector;
- (b) whether most of the SEBs continue to suffer from a shortage of resources to finance projects or raise resources; and
 - (c) if so, how Government plan to resolve this problem?

THE MINISTER OF POWER (SHRI P.R. KUMARAMANGALAM): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

- (a) Yes, Sir.
- (b) Yes, Sir. A Statement indicating the profit and loss of SEBs during the year 1998-99 is enclosed at Statement-I (*See* below)
- (c) The Conference of Power Ministers' was held on 26.2.2000 to address these problems. A copy of the Resolution adopted in the Conference is at Statement-II.